भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :1126

3 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान

1126. **श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:**
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय निकायों के चयन के लिए निर्धारित मानदंड और अनुदान की राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य प्रणालियां कितनी मजबूत हुई हैं; और

(ड) यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण कमियों को किस हद तक दूर करेगा?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख)

सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदान जारी किए हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्यों में उपलब्ध स्वास्थ्य अवसंरचना के आधार पर 15वें वित्त आयोग ने उन उपायों की पहचान की जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का प्रत्यक्ष रूप से मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी इन अनुदानों से वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि को कवर किया जाएगा और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को सरल बनाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के उन्नयन के लिए चिन्हित घटकों के साथ-साथ वर्षवार निर्धारित राशि का सारांश अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

15वें वित्त आयोग अनुशंसित घटकवार स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान जिन्हें 2021-22 के दौरान राज्योंको जारी किया गया(30.11.2021) (करोड़ रु. में)									
क्र. स	राज्य का नाम	पीएचसी सुविधाकेंद्रों के लिए नैदानिक अवसंरचना हेतु सहयोग			ब्लॉक स्तरीय पीएचयू	यूएचडब्लूसी	भवनरहित एससी, पीएचसी और सीएचसी	ग्रामीण पीएचसी और एससी का एचडब्लूसी में रूपांतरण	कुल
		एसएचसी	पीएचसी	यूपीएचसी					
1	आंध्र प्रदेश	54.7600	57.2500	14.2900	134.3936	102.8726	0.0000	124.5865	488.1527
2	अरुणाचल प्रदेश	2.8200	6.9600	1.2980	22.9376	5.2400	1.0400	6.6484	46.9440
3	असम	46.8600	50.6350	10.9725	5.3100	65.5500	13.3180	79.6054	272.2509
4	बिहार	157.1038	172.7900	27.4116	49.4700	185.4300	329.2900	194.8100	1116.3054
5	छत्तीसगढ	39.1900	41.0600	10.2270	13.5600	133.8800	10.7500	90.1274	338.7944
6	गोवा	1.6100	1.1700	0.2400	2.4100	20.4800	1.5400	3.9996	31.4496
7	गुजरात	67.4900	71.8800	17.6300	50.3100	260.7300	1.1700	160.0100	629.2200
8	हरियाणा	24.1638	27.8709	6.9833	28.3360	138.0000	29.4150	46.6100	301.3790
9	हिमाचल प्रदेश	15.3663	28.4460	4.1376	1.8500	1.4000	2.6800	44.1300	98.0099
10	झारखंड	49.4896	51.4006	13.1000	24.3610	118.8000	118.5400	68.7071	444.3983
11	कर्नाटक	71.8500	103.5800	16.0200	38.2300	122.9300	10.0600	188.8600	551.5300
12	केरल	39.6100	48.3600	10.9400	30.5900	191.7000	0.5000	105.4300	427.1300
13	मध्य प्रदेश	102.6100	108.7500	27.1700	28.9900	427.5000	30.0300	197.7492	922.7992
14	महाराष्ट्र	103.4280	109.6800	27.6675	61.2916	238.0800	50.0700	187.7898	778.0069
15	मणिपुर	3.9491	4.3800	1.0344	12.9536	9.8000	2.0300	8.7300	42.8771
16	मेघालय	6.0500	6.0400	1.5100	9.2500	23.3000	3.2100	9.2884	58.6484
17	मिजोरम	2.7200	2.8700	0.4400	5.2300	12.0100	0.5600	7.3600	31.1900

18	नगालैंड	3.1900	6.1400	1.0200	14.8900	22.5500	1.0300	8.1900	57.0100
19	उड़ीसा	61.7200	65.4673	18.3600	29.0800	89.1900	72.8300	125.1200	461.7673
20	पंजाब	26.1050	28.8800	7.2100	28.7808	241.7500	20.2300	46.7000	399.6558
21	राजस्थान	43.1310	21.3300	3.2400	27.4000	106.4900	191.3900	263.1900	656.1710
22	सिक्किम	1.3000	1.4100	0.1480	6.4400	8.1900	0.5300	2.9600	20.9780
23	तमिलनाडु	64.1600	69.2500	18.7500	77.4700	356.4800	71.2100	148.6080	805.9280
24	तेलंगाना	34.9300	35.2500	8.8600	118.2016	133.0992	2.8098	85.0509	418.2015
25	त्रिपुरा	7.1600	5.2600	1.2700	11.1020	41.6800	0.2500	17.3600	84.0820
26	उत्तर प्रदेश	217.4400	281.5300	70.3133	76.1024	424.5008	333.5472	387.3375	1790.7712
27	उत्तराखंड	13.6000	12.5200	3.2600	2.2200	81.5700	1.4300	35.4965	150.0965
28	पश्चिम बंगाल	97.3881	105.9866	26.3772	69.2197	287.1000	49.0400	192.9578	828.0694
x	कुल	1359.1947	1526.1464	349.8804	980.3799	3850.3026	1348.5000	2837.4125	12251.8165

अनुलग्नक-II

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा चिन्हित घटकों के साथ-साथ प्रत्येक घटक के लिए वर्षवार निर्धारित राशि का सारांश नीचे दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

(करोड़ रु. में)							
क्र. स	कुल स्वास्थ्य अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों के लिए नैदानिक अवसंरचना हेतु सहयोग	3084	3084	3238	3400	3571	16377
	(i) उप केंद्र	*1457*	*1457*	*1530*	*1607*	*1687*	*7738*
	(ii)पीएचसी	*1627*	*1627*	*1708*	*1793*	*1884*	*8639*
2	खंड स्तरीय जन स्वास्थ्य इकाईयां	994	994	1044	1096	1151	5279
3	भवन रहित एससी, पीएचसी, सीएचसी	1350	1350	1417	1488	1562	7167
4	ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में परिवर्तित करना	2845	2845	2986	3136	3293	15105
	कुल स्वास्थ्य अनुदान	8273	8273	8685	9120	9577	43928

शहरी क्षेत्रों के लिए:-

क्र. स	कुल स्वास्थ्य अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल

1	शहरी पीएचसी में पीएचसी सुविधाओं के लिए नैदानिक अवसंरचना हेतु सहयोग	394	394	415	435	457	2095
2	शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एचडब्लूसी)	4525	4525	4751	4989	5238	24028
	कुल स्वास्थ्य अनुदान	4919	4919	5166	5424	5695	26123

i. (*एससी*):-उप-स्वास्थ्य केंद्र	(*पीएचसी*):-जन स्वास्थ्य केंद्र
ii. (सीएचसी):-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	(एचडब्लूसी) :-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

*****